(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण निग/3722-II-15

दिनांक 10-11-15 को श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत/
10.11.15
50

1. कामता पुत्र रामदयाल यादव
2. रामचरन पुत्र रामदयाल यादव
3. दुर्गा पुत्र रामदयाल यादव
4. लखन पुत्र रामदयाल यादव

सभी निवासीगण ग्राम मुंगवारी तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामसींग पुत्र गोरेलाल यादव
2. मुलुवा यादव पुत्र झलुवा यादव
3. प्रेमलाल यादव पुत्र झलुवा यादव
4. पुनी बाई पुत्री झलुवा यादव
5. पार्वती बाई पुत्री झलुवा यादव
6. गुडडी बाई पुत्री झलुवा यादव
7. मुन्नी बाई पुत्री झलुवा यादव
8. रामकुंवर बेवा झलुवा यादव

सभी निवासीगण ग्राम मुंगवारी तह. बडा मलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
10-11-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बडा मलहरा जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 6/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26.9.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3722-दो/2015 जिला छतरपुर कामता विरूद्ध रामसींग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 6/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-11-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 06/02/19
सदस्य